

राजस्थान - सरकार

शिक्षा - विभाग

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ20(101)आयो/निकाशि/2012/

दिनांक: 06 मार्च, 2012

निदेशक,
कोष एवं लेखा विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय: आन लाइन वेतन बिल पारित करने के निर्देश जारी करने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि SCSP योजना में आयोजना मद में व्यय करने के निर्देशों के क्रम में इस विभाग के बजट मद 2202-03-103-02-00 में स्वीकृत पदों का वेतन बजट मद 2202-03-789-01-00 में आहरित करने हेतु वित्त विभाग से बजट प्रावधान उपलब्ध करवाया गया है। वर्ष 2012-13 से आयोजना मद के सभी पद आयोजना भिन्न मद में स्थानान्तरित हो गये हैं। ऐसी स्थिति में तकनीकी कमी होने के कारण आन लाइन वेतन आहरित करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः कृपया कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारियों को को माह फरवरी, 2012 के वेतन बिल आफ लाइन पारित करने हेतु निर्देश प्रदान करने का श्रम करें, ताकि अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन आहरित हो सके।

भवदीय,

५०

(डॉ. सी.एम. खटीक)

संयुक्त निदेशक

क्रमांक:एफ20(101)आयो/निकाशि/2012/2293-2296 दिनांक: 06 मार्च, 2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी, भोपालगढ़, पोकरण, देवली, बालोतरा, भवानीमण्डी, सोजतसिटी, उनियारा, जैतारण, केलवाडा, टोडाभीम, थानागाजी, झुनझुनू भीम, तारानगर, सूरतगढ़, झालावाड, केकडी व लालसोट।
2. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, भोपालगढ़, पोकरण, देवली, बालोतरा, भवानीमण्डी, सोजतसिटी, उनियारा, जैतारण, केलवाडा, टोडाभीम, थानागाजी, झुनझुनू भीम, तारानगर, सूरतगढ़, झालावाड, केकडी व लालसोट।
3. डॉ. धीरेन्द्र दवर्षि, व्याख्याता।

५०
संयुक्त निदेशक